न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 10 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. महेन्द्रसिंह पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी भगोणियों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर	**बनाम**	1.रामाराम पुत्र लालाराम 2.मुकनाराम पुत्र लालाराम 3.ईशराराम पुत्र लालाराम 4.जीवणाराम पुत्र लालाराम 5.खेमाराम पुत्र लालाराम 6.किरतुराराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी भगोणियों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 7.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 100 / 2015 बअनवान रामाराम बनाम मुकनाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.03.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री उगराराम सहारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री निम्बाराम बेनिवाल रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 04.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा भगोणियों की ढाणी पटवार मण्डल बरवाला तहसील बायतु जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 190 रकबा 50.07 बीघा, खसरा नम्बर 664 / 196 रकबा 48.01 बीघा व खसरा नम्बर 667 / 196 रकबा 10 बिस्वा व मौजा माडपुरा पुराना गांव में खेत खसरा नम्बर 309 रकबा 14 बिस्वा, खेत खसरा नम्बर 310 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 428 / 311 रकबा 22.18 बीघा व खसरा नम्बर 490 / 311 रकबा 51.11 बीघा आये हुए है जिसमें वादी का 1 / 7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 से 06 प्रत्येक का 1 / 7—1 / 7 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। राजस्व रिकॉर्ड हिस्से खुले हुए नहीं होने से पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से व कब्जा काश्त को लेकर तनाजा बना रहता है, वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 प्रत्येक का 1 / 7—1 / 7 हिस्सा घोषित करते हुए तहसीलदार बायतु से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर तहसीलदान स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवार व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु

कहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बायतु को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बायतु द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर अपीलकर्ता को अंधेरे में रखते हुए खाली कागजों पर हस्ताक्षकर व अगुष्ठ निशान करवाने के बाद हल्का पटवारी ने उतरदाता संख्या 01 स 03 के दबाव में रहते हुए उनके कहे अनुसार कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। वर्तमान में अरसा 10–12 दिन पूर्व अपीलांट अपने बाहामी बंटवाड़ के अनुसार भूमि पर ऋण प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से जमाबंदी व नक्शा प्राप्त किया तथा जमाबंदी का अवलोकन किया तो अपीलांट के हिस्से में 1/7 हिस्से से कम रकबा दर्ज होने पर अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने उक्त निर्णय की नकल मांगी जो दिनांक 11.02.2020 को मिली जिस पर अपीलांट को सर्वप्रथम आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.06.2017 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान

टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि **तहसीलदार स्वयं** द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। **तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए।** बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं अपीलांट द्वारा अपील के साथ पेश शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 100/2015 बअनवान रामाराम बनाम मुकनाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.03.2018 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद में अधिकतम तीन माह में निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर